

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)/एपीओ/अलेसे-III / 193

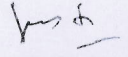
दिनांक :- 1-8-19

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (B) (III) के अंतर्गत नियमित करते हुए वेतन आहरण की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	लिक नं.	नाम (सर्वश्री) / पदनाम	अवधि		विभाग/कार्यालय जहां से वेतन भुगतान किया जाना है
(1)	(2)	(3)	कब से (4)	कब तक (5)	(6)
1	5971	सुरेश चन्द अरोड़ा / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम	25/03/2019	18/06/2019 (दिनांक 10.03.2019 से 26.05.2019 तक लोकसभा चुनाव हेतु आचार संहिता प्रभावी एवं आचार संहिता की अवधि को कम करने पर एपीओ अवधि 23 दिवस)	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर - 17600

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या प.2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 25/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।

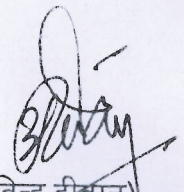

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- F4(ई)/एपीओ/अलेसे-III / 193

दिनांक :- 1-8-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वेतन भुगतान की व्यवस्था करावें।
- संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका उनके सामने कॉलम संख्या 6 में अंकित विभाग/ कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
- संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक ।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित निजी पत्रावली।


(अरविन्द धीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)